राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1599/2025

रतन लाल सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन पूर्व में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा तहसील कार्यालय नीमकाथाना से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना में किया गया था। वर्तमान में जिला नीमकाथना निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी उदयपुरवाटी में कार्यरत होने के साथ जिला झुंझुनू में सम्मिलित हो गया है, जबकि अपीलार्थी मूल रूप से जिला सीकर में कार्यरत था। अपीलार्थी का मूल जिला सीकर है और वर्तमान में अपीलार्थी को झुंझुनू जिले में पदस्थापित कर दिया गया है, जिस कारण से अपीलार्थी की पदोन्नति और वरियता प्रभावित होगी।
3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पूर्व में नीमकाथाना से उदयपुरवाटी में किया गया था। नीमकाथाना और उदयपुरवाटी दोनों ही जिले नवगठित जिले नीमकाथाना में आते थे। वर्तमान में नीमकाथाना जिले को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में अपीलार्थी झुंझुनू जिले में ही पदस्थापित हो गया है। जबकि अपीलार्थी को मूल पदस्थापन नीमकाथाना, जिला सीकर में था। इस प्रकार

अपीलार्थी जिला सीकर से दूसरे जिले झुंझुनू में पदस्थापित हो गया है। हम यह भी पाते हैं कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना ने आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जिन कार्मिकों को जिला नीमकाथाना, झुंझुनू व अन्य स्थानों से पदस्थापित किया गया था, उनको वापस मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त कर दिया। जबकि अपीलार्थी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का मूल जिला सीकर में पदस्थापन किये जाने के आदेश एक माह में पारित किये जायें।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित की जाती हे।

(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)	(विकास सीतारामजी भाले) अध्यक्ष